डाटा सेंटर बनाने के लिए मिलेगी और ज्यादा छूट

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

यूपी सरकार ने डाटा सेंटर परियोजना लगाने वाली कंपनियों को लुभाने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया है। इसमें किसी निवेशक की जमीन की लीज डीड आसानी से रद्द नहीं हो सकेगी। यही नहीं निवेशकों को डबल ग्रिड पर बिजली सप्लाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार की जा रही डाटा सेंटर नीति के मसौदे में यह नए प्रावधान निवेशकों के फीडबैक पर जोड़े गए हैं। इसे जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, अगर प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और उद्यमी ने पूरा पैसा भी जमा कर दिया है। इस बीच कोई शिकायत आती है तो इसे प्राधिकरण के सीईओ स्वयं रद्द नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड की बैठक में अनुमोदन लेना होगा। डाटा सेंटर बिल्डिंग की निश्चित ऊचाईं में ज्यादा मंजिल बनाने की छूट होगी। विमान पत्तन प्राधिकरण की अनुमति से ऊंचाई भी बढाई जा सकती है। इसके अलावा अब ज्यादा जमीन पर पार्किंग बनाने की जरूरत नहीं होगी। 15 प्रतिशत जगह के बजाए केवल पांच प्रतिशत पार्किंग ही पर्याप्त होगी।

तैयारी

- निवेशकों को लुभाने का योगी सरकार का नया प्लान
- डाटा सेंटर परियोजना में लीज डीड रद्द करना होगा मुश्किल